



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16914

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27265 वर्ष 2025

अरमान

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आमिर खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से आज दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आमिर खान और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री एस.बी. मौर्य को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 1111/2023, धारा 302, 307, 504, 506, 34 आईपीसी और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, पुलिस स्टेशन खुर्जा नगर, जिला बुलंदशहर में अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा जमानत आवेदन है और उनका पहला जमानत आवेदन दिनांक 11.3.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

5. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक इस मामले में 16.12.2023 से यानी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में है और आज तक 24 गवाहों में से केवल पाँच की ही जाँच हो सकी है, इसलिए मामले की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही है और इसके शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है।

6. उन्होंने आगे बताया कि घटना में आरोप के अनुसार दानिश को भी चोट लगी थी और जब अवर न्यायालय ने उनका बयान दर्ज किया तो उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि सह-आरोपी शमशेर ने मृतक को चाकू से चोट पहुँचाई थी और उनके बयान के अनुसार आवेदक और सह-आरोपी अधिवक्ता ने उन पर हमला किया था, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने मृतक को चोट नहीं पहुँचाई थी।

7. उन्होंने आगे बताया कि सह-आरोपी अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उनकी जमानत याचिका इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उन्होंने आगे बताया कि घायल दानिश के विचारण न्यायालय में दर्ज बयान के आलोक में, आवेदक का मामला सह-आरोपी अधिवक्ता के मामले के बराबर है।

9. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा जमानत आवेदन है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक इस मामले में पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक आरोप पत्र के 24 गवाहों में से केवल पांच की ही जांच की जा सकी है।

11. वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि घायल दानिश के बयान से, जो विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया था, यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदक ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी। उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी अधिवक्ता के समान है और सह-आरोपी अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

12. वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

13. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

14. हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। और उनकी पहली जमानत याचिका इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी कि उन्होंने दो अन्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लोगों के साथ मिलकर हमला किया था, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। लेकिन जब घायल दानिश से परीक्षण न्यायालय द्वारा गवाह संख्या 2 के रूप में पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सह-आरोपी शमशेर ने मृतक को चोट पहुंचाई थी और उनके अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी अधिवक्ता ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा, उनके बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी अधिवक्ता के मामले के बराबर है और सह-आरोपी अधिवक्ता को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

15. इसके अलावा, इस मामले में, आवेदक दिसंबर 2023 से जेल में है यानी पिछले दो वर्षों से अधिक समय से और यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र के 24 गवाहों में से आज तक केवल पांच की ही पूछताछ की जा सकी है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है।

16. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

17. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

19. आवेदक-**अरमान** को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, ब्याज राशि के एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानती पेश करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22 जनवरी 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।